छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा | चतुर्थ सत्र | अंक-15

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 24 मार्च, 2015

(चैत्र 3, शक संवत् 1937)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 03 से 12, 14 से 16 (कुल 14) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या 01 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री भूपेश बघेल के स्थान पर श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष अधिकृत थे।

तारांकित प्रश्न संख्या 02 एवं 13 के प्रश्नकर्ता सदस्य क्रमश: श्री संतोष बाफना एवं श्री खेलसाय सिंह अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 25 तारांकित एवं 34 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 19 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा-19 के अंतर्गत चौदहवाँ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014,

(2) श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री ने छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग अधिनियम, 2004 (क्रमांक 23 सन् 2004) की धारा 18 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य

गौ सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015 एवं उस पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की रिपोर्ट **पटल पर रखे।**

3. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) डॉ. प्रीतम राम, श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य ने जशपुर जिला पुलिस की असंवेदनशील कार्यप्रणाली की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री रामसेवक पैकरा, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा, भोलाराम साहू, गिरवर जंघेल, सदस्य ने जिला राजनांदगांव में धान उपार्जन केन्द्र, मोहरा के समिति पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री पुन्नूलाल मोहले, सहकारिता मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

4. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय सभापति के निर्देशानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री जनकराम वर्मा
(2) श्री शंकर ध्रुवा
(3) श्री मोतीलाल देवांगन
(4) श्री अमरजीत भगत
(5) श्री दलेश्वर साहू

5. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री श्रीचंद सुंदरानी, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का (सदन द्वारा पारित अशासकीय संकल्पों पर कार्यवाही संबंधी) प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

6. मंत्री का वक्तव्य

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने दिनांक 3 मार्च, 2015 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्रमांक-291) के उत्तर के संबंध में वक्तव्य दिया।

7. वर्ष 2015-2016 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

(1) माननीय मुख्यमंत्री के विभागों की मांगो पर पुनर्ग्रहित चर्चा में श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष ने भाग लिया।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगो का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री अमर अग्रवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित मांग संख्या 19, नगरीय प्रशासन एवं विकास-नगरीय निकाय से संबंधित मांग संख्या 22, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण से संबंधित मांग संख्या 69, नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या 81, चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 79, वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 7 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-19 पर सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, सत्यनारायण शर्मा, कवासी लखमा, मोतीलाल देवांगन, धनेन्द्र साहू, सियाराम कौशिक, श्रीमती देवती कर्मा, श्रीमती अनिला भेंडिया, सर्वश्री श्यामलाल कंवर, बघेल लखेश्वर, (डॉ.) प्रीतम राम, बृहस्पत सिंह, जनकराम वर्मा, दीपक बैज, मोहन मरकाम मांग संख्या-22 पर सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, सत्यनारायण शर्मा, कवासी लखमा, मोतीलाल देवांगन, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री धनेन्द्र साहू, सियाराम कौशिक, श्यामलाल कंवर, बृहस्पत सिंह मांग संख्या-69 पर सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, सत्यनारायण शर्मा, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री धनेन्द्र साहू, मोतीलाल देवांगन मांग संख्या 79 पर सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा, मोतीलाल देवांगन मांग संख्या 7 पर सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, सियाराम कौशिक, धनेन्द्र साहू, बृहस्पत सिंह, जनकराम वर्मा, श्रीमती अनिला भेंडिया, सर्वश्री श्यामलाल कंवर, चिंतामणी महाराज, डॉ. प्रीतम राम, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री अवधेश सिंह चंदेल, मोतीलाल देवांगन, टी.एस.सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष, श्रीचंद सुंदरानी, (डॉ.) प्रीतम राम, राजमहंत सांवलाराम डाहरे, अरूण वोरा, डॉ. खिलावन साहू,

(सभापति महोदय (श्री धनेन्द्र साहू) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री कवासी लखमा, अंबेश जांगड़े, संतराम नेताम, तोखन साहू, बृहस्पत सिंह, (डॉ.) सनम जांगड़े, मोहन मरकाम,

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री संतोष उपाध्याय, दीपक बैज, श्रीमती सरोजनी बंजारे, सर्वश्री उमेश पटेल, दलेश्वर साहू, श्यामबिहारी जायसवाल, केशव चंद्रा, (डॉ.) विमल चोपड़ा, देवजी भाई पटेल,

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पदक्रम 6 (3) की अनुदान मांगे माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये जाने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

श्रीमती चंपा देवी पावले।

श्री अमर अग्रवाल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से कार्यसूची में सम्मिलित कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगो का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(3) श्री राजेश मूणत, लोक निर्माण मंत्री ने लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल से संबंधित मांग संख्या 24, लोक निर्माण कार्य-भवन से संबंधित मांग संख्या 67, लोक निर्माण विभाग से संबंधित

विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबधित मांग संख्या 76, आवास एवं पर्यावरण से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 21 एवं परिवहन से संबंधित मांग संख्या 36 प्रस्तुत की।

मांग संख्या 24 पर सर्वश्री धनेन्द्र साहू, सत्यनारायण शर्मा, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, डॉ. प्रीतम राम, श्री संतराम नेताम, श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, श्रीमती अनिला भेंडिया, सर्वश्री राजेन्द्र कुमार राय, श्री दीपक बैज मांग संख्या 67 पर श्री दीपक बैज मांग संख्या 21 पर सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा, धनेन्द्र साहू, बघेल लखेश्वर मांग संख्या 36 पर श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
सर्वश्री देवजी पटेल, राजेन्द्र कुमार राय, अवधेश सिंह चंदेल, उमेश पटेल।

श्री राजेश मूणत, लोक निर्माण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगो का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

रात्रि 9.02 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 25 मार्च, 2015 (चैत्र-4, शक संवत् 1937) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा